[राज्य सभा में पुर:स्थापित रूप में]

2021 का अधिनियम संख्यांक 20

[दि इंश्यूरेंस (अमेंडमेंट) बिल, 2021 का हिन्दी अनुवाद]

बीमा (संशोधन) विधेयक, 2021

बीमा अधिनियम, 1938 का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बहतरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2021 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

धारा 2 का संशोधन ।

2. बीमा अधिनियम, 1938 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (7क) के उपखंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :— 1938 का 4

"(ख) जिसमें विदेशी विनिधानकर्ताओं द्वारा धृत साम्य शेयरों का योग जिसके अंतर्गत पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता हैं, ऐसी भारतीय बीमा कंपनी की समादत्त साम्य पूंजी के चौहत्तर प्रतिशत से अधिक नहीं होता है और उसमें विदेशी विनिधान ऐसी शर्तों और रीति के अधीन रहते हुए होगा, जो विहित की जाए ;"।

धारा 27 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (7) के स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा ।

धारा 114 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 114 की उपधारा (2) के खंड (ककक) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ककक) धारा (2) के खंड (7क) के उपखंड (ख) के अधीन विदेशी विनिधान की शर्तें और रीति ;"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

बीमा अधिनियम, 1938 को देश में बीमा कारबार से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया था । बीमा क्षेत्र में विदेशी विनिधान को वर्ष 2000 में किसी भारतीय बीमा कंपनी में 26 प्रतिशत तक अनुज्ञेय करके अनुज्ञात किया गया था । तत्पश्चात्, बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा विदेशी विनिधान की इस सीमा को ऐसी कंपनी, जो भारतीय स्वामित्व में है तथा इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा नियंत्रित होती है कि समादत्त साम्य पूंजी के 49 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया था ।

2. अर्थव्यवस्था और बीमा क्षेत्र की वृद्धि के लिए घरेलू दीर्घावधि पूंजी, प्रौद्योगिकी और कौशल को अनुपूरक करने के लिए सरकार की विदेशी प्रत्यक्ष विनिधान नीति के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु और उसके द्वारा बीमा पहुंच तथा सामाजिक संरक्षण में बढोतरी करने के लिए भारतीय बीमा कंपनियों में विदेशी विनिधान की सीमा को विद्यमान 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने का विनिश्चय किया गया है ।

3. तदनुसार, बीमा अधिनियम, 1938 को संशोधित करने के लिए बीमा (संशोधन) विधेयक, 2021, अन्य बातों के साथ निम्नलिखित के लिए उपबंध करता है—

(i) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 के खंड (7क) में "भारतीय बीमा कंपनी" की परिभाषा में उपखंड (ख) का प्रतिस्थापन, जिससे किसी भारतीय बीमा कंपनी में विदेशी विनिधान की विद्यमान 49 प्रतिशत की सीमा को बढ़ाकर 74 प्रतिशत किया जा सके और रक्षोपायों के साथ विदेशी स्वामित्व और नियंत्रण को अनुज्ञात किया जा सके ;

(ii) धारा 27 की उपधारा (7) के स्पष्टीकरण का लोप ।

4. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
12 मार्च, 2021

निर्मला सीतारामन

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 4 बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114 का संशोधन करने के लिए है जो यह उपबंध करती है कि केन्द्रीय सरकार धारा 2 के खंड (7क) के उपखंड (ख) के अधीन विदेशी विनिधान की शर्तों और रीति के लिए नियम बनाएगी ।

2. वह विषय जिसके संबंध में पूर्व वर्णित नियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे के विषय है और इस प्रकार प्रस्तावित विधेयक में ही उनके लिए उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । इसलिए, विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का अधिनियम संख्यांक 4) से उद्धरण

* * * * * *

2. इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो— परिभाषाएं ।

* * * * * *

(7क) "भारतीय बीमा कंपनी" से कोई बीमाकर्ता अभिप्रेत है, जो ऐसी कंपनी है, जो शेयरों द्वारा सीमित है, और,—

* * * * * *

(ख) जिसमें विदेशी विनिधानकर्ताओं द्वारा, जिनके अन्तर्गत पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता भी हैं, साधारण शेयरों की कुल धृतियां ऐसी भारतीय बीमा कंपनी की, ऐसी रीति में, जो विहित की जाएं, भारतीय के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन है, समादत्त साधारण पूंजी के उनचास प्रतिशत से अधिक नहीं है ।

स्पष्टीकरण—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए "नियंत्रण" पद के अन्तर्गत अधिकांश निदेशकों को नियुक्त करने अथवा प्रबंधन या नीति विषयक विनिश्चयों, जिसके अंतर्गत उनकी शेयरधारिता या प्रबंधन अधिकार या शेयरधारकों के करार या मत देने के करार भी हैं, को नियंत्रित करने का अधिकार भी है ;

* * * * * *

विनिधान, उधार और प्रबन्ध

27.(1) * * * * * आस्तियों का विनिधान ।

(7) वे आस्तियां जिनकी बाबत इस धारा के अनुसार यह अपेक्षित है कि वे भारत के बाहर निगमित या अधिवसित बीमाकर्ता द्वारा विनिहित रखी जाएं उनके उस भाग तक की सीमा के सिवाय, जो भारत के बाहर विदेशी आस्तियों के रूप में धृत हैं, भारत में धृत रखी जाएंगी और सभी ऐसी आस्तियां उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रकृति के दायित्वों के उन्मोचन के लिए न्यास के रूप में धृत रखी जाएंगी और भारत में निवासी तथा प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित न्यासियों में विनिहित होंगी, और इस उपधारा के अधीन न्यास लिखत प्राधिकरण के अनुमोदन से बीमाकर्ता द्वारा निष्पादित की जाएगी और उसमें उस रीति का उल्लेख किया जाएगा जिससे केवल न्यास की विषय-वस्तु बरती जाएगी ।

स्पष्टीकरण—यह उपधारा भारत में निगमित ऐसे किसी बीमाकर्ता को लागू होगी जिसकी एक-तिहाई शेयर पूंजी के स्वामी या जिसके शासी निकाय के एक-तिहाई सदस्य भारत से अन्यत्र अधिवसित हैं ।

* * * * * *

नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति ।

114. (1) * * * * *

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेंगे—

* * * * * *

(ककक) धारा 2 के खंड (7क) के उपखंड (ख) के अधीन भारतीय बीमा कंपनी के स्वामित्व और नियंत्रण की रीति ;

* * * * * *

MGIPMRND—1607RS(CRC)—12-03-2021.